

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक प07(8)कार्मिक/क-2/2008

जयपुर, दिनांक 17.9.2012

जिला कलेक्टर  
जयपुर।

**विषय— अन्य पिछड़ा वर्ग पर कीमिलेयर के संबंध में।**

**सन्दर्भ— आप द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के संबंध में।**

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर, बैच जयपुर ने डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13491/2009, 12810/2009 एवं 13884/2009 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2010 द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.8.2009 के संबंध में यह निर्देश दिये है कि राज्य सरकार कीमिलेयर के संबंध में 2.50 लाख रुपये से 4.50 लाख रुपये की सीमा को प्रभावी नहीं करे।

अतः स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 2.11.1999 के आधार पर कीमिलेयर की सीमा 2.50 लाख की वित्तीय सीमा मानकर प्रमाण पत्र जारी करें।

राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध रिव्यू/विशेष अनुमति याचिका के अन्तरिम आदेश/अन्तिम निर्णय के अधीन उक्त प्रमाण पत्र जारी किये जावे।

आज्ञासे,  
17/9/12  
(दिनेश/यादव)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आक्षेपक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर कृपया अपने अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, जो जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधिकृत है, को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें।
5. ए.सी.पी., कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

17/9/12  
शासन उप सचिव

48/2012